No. of Printed Pages : 8

JUE-D

2019

विधि – II (साक्ष्य एवं प्रक्रिया)

LAW – II (Evidence and Procedure)

निर्धारित समय : तीन घण्टे] *[पूर्णांक : 200*

Time allowed : Three Hours] ***[Maximum Marks : 200***

नोट : *अभ्यर्थी को प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है तथा अन्य कोई **चार** प्रश्न हल करने हैं । प्रत्येक खण्ड में से **एक** प्रश्न करना अनिवार्य है । कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं । हालाँकि सभी प्रश्नों के समान अंक हैं । **एक** प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यत: एक साथ दिया जाय ।*

Note : *Candidates should attempt Question No. 1 as compulsory and **four** more. At least **one** question must be attempted from each section. In all **five** questions are to be answered. Marks carried by each question are indicated against the question. However, all questions carry equal marks. The parts of same question must be answered together.*

अनिवार्य प्रश्न

1. वादी राहुल देव ने प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के विरूद्ध एक वाद दायर कर यह अभिवचित किया कि :

(i) प्रतिवादी प्लाट सं. 91 मापमान लगभग 29 एकड़ कल्याणपुर ग्राम, तहसील काशीपुर में स्थित का भूमिधर है । (ii) प्रतिवादी उक्त भूमि को ₹ 1,20,000 के बदले वादी को विक्रय करने हेतु सहमत हुआ जिसमें से भागिक प्रतिफल ₹ 1,00,000 का अग्रिम भुगतान किया गया तथा शेष राशि ₹ 20,000 का भुगतान विक्रय विलेख के निष्पादन के समय किया जाना था । (iii) पक्षकारों के मध्य दिनांक 3-6-1996 को एक पंजीकृत करार का निष्पादन किया गया तथा दिनांक 25-5-1998 को विक्रय विलेख का निष्पादन किया जाना था । (iv) वादी विक्रय विलेख के निष्पादन पर ₹ 20,000 का भुगतान करने के लिए तैयार था । (v) वादी ने प्रतिवादी से विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु अनेकों बार प्रार्थना की परंतु प्रतिवादी इसे टालता रहा तब वादी ने प्रतिवादी पर नोटिस की तामील कर सब रजिस्ट्रार के कार्यलय में दिनांक 25-5-1998 को उपस्थित होकर विक्रय विलेख के निष्पादन की माँग की परन्तु प्रतिवादी हाजिर नहीं हुआ, जबकि वादी सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में उस दिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहा ।

उक्त अभिवचनों के आधार पर वादी ने संविदा के विशिष्ट अनुपालन का अनुतोष चाहा है । प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में विक्रय करार के निष्पादन से इन्कार करते हुए अभिकथन किया कि उसने वादी से ₹ 60,000 दो प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज दर पर 3-6-1996 को उधार लिए थे तथा वादी को

₹ 65,000 का भुगतान कर दिया है । प्रतिवादी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि वादी अपने भाग की संविदा का पालन हेतु तैयार एवं इच्छुक था ।

पक्षकारों के उक्त अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक बिन्दु विरचित करते हुए सुसंगत विधिक प्रावधानों व निर्णयज विधि का उल्लेख करते हुए एक निर्णय लिखिए । **10 + 30 = 40**

अथवा

भीमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, निवासी ग्राम नलियना, जिला नैनीताल का विवाह प्रेमादेवी (मृतका) से दि. 7-5-1997 को सम्पन्न हुआ । आनसिंह एवं नैनसिंह, भीमसिंह के भाई एवं जानकी देवी आनसिंह की पत्नी है । दिनांक 26-9-97 को प्रेमादेवी की अप्राकृतिक मृत्यु उसके ससुराल में हो गई । प्रेमादेवी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् पुष्पा जोशी, ग्राम प्रधान ज्योलि कोट ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रेमादेवी की अप्राकृतिक मौत के बारे में सूचना दी, सूचना प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक शिवसिंह गुसांई के साथ घटना स्थल पर पहुँचे एवं मृत शरीर को कब्जे में लेकर उसी दिन मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की । उसी दिन डॉ. डी.के. जोशी द्वारा मृतक की शव परीक्षा (पोस्टमार्टम) कर रिपोर्ट बनाई, जिसमें कहा गया कि मृतका के शरीर पर 90 प्रतिशत (बर्न इनजरी) दाह क्षतियाँ थी ।

दिनांक 27-9-97 को मृतका के भाई बीरबलसिंह ने ज्योलिकोट पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें कथन किया गया कि उसकी बहिन का विवाह भीमसिंह से हुआ था, विवाह में नाना प्रकार की वस्तुएँ (आइटमस)दी गई थी । रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि परिवादी की बहिन प्रेमा देवी ने उसे बताया कि विवाह के उपरांत जब वह अपने ससुराल गई तो उसके पति भीमसिंह, आनसिंह, नैनसिंह और श्रीमती जानकी देवी उसे यह कहते हुए कि वह दहेज में कुछ भी नहीं लाई है, ताने देते एवं उस पर अत्याचार करते थे । जब प्रेमा देवी ने ये बातें अपने माता-पिता को बताई तो उन्होंने प्रेमा देवी को समझाया कि वह परिवार में सामंजस्य स्थापित कर रहे एवं परिवादी के पिता मानसिंह ने प्रेमा देवी को आश्वस्त किया कि वह स्वयं ससुराल वालों से बात कर मामले को सुलझा लेंगे । परिवादी के पिता मानसिंह एवं उसके चाचा त्रिलोकसिंह सुसराल वालों के घर गये एवं उन्हें समझाने का भरसक प्रयास किया परन्तु प्रेमादेवी को ताने देना एवं उसे यातनाएँ देना जारी रहा । उसके उपरांत प्रेमादेवी जब राखी पर अपने माता-पिता के घर आयी तो उसने बताया कि भीमसिंह, आनसिंह, नैनसिंह एवं जानकी देवी उसे बारंबार ताने व यातनाएँ देते हैं । उसने आगे यह भी कहा कि बड़े भाई आनसिंह ने उसे संपूर्ण गाँव के सामने बेइज्जत करने की धमकी देते हुए यह दबाव डाला है कि वह अपने माता-पिता के घर से वस्त्र एवं अन्य सामग्री वस्तुएँ लेकर आवे ।

दिनांक 27-9-97 को परिवादी को यह सूचना प्राप्त हुई कि उसकी बहिन की दाह से मृत्य हो गई, सूचना प्राप्त होते ही वे प्रेमादेवी के ससुराल गए जहाँ वह (प्रेमादेवी) मृत पड़ी थी । वह संपूर्ण रूप से जली हुई थी, उन्हें बताया गया कि उसने स्वयं अपने आपको अग्नि के हवाले किया है ।

उप अधीक्षक पुलिस बिमला गुंजयाल (PW6) द्वारा अन्वेषण किया गया, अन्वेषणोपरांत चारों अभियुक्तों के विरुद्ध चालान (अभियोग पत्र) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

(क) अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 498-ए एक 304-बी के आरोप निश्चित कीजिए । **10**